

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
 तहसील मुरादाबाद
 आवेदन क्र० 181350030135608
 प्रमाणपत्र क्र० 042183033487

जारी दिनांक: 04/09/2018

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

कु. नीतू सैनी

श्री चंद्रपाल सैनी

श्रीमती लक्ष्मी देवी

, नया गाँव पोस्ट लाकड़ी फाझलपुर



उत्तर प्रदेश राज्य की सैनी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीतू सैनी पूर्वाक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९७७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जन सेवा केन्द्र
 केन्द्र प्रभारी हरीश कुमार .
 ग्राम डिडौरा, जिला मुरादाबाद

जारी कर्ता केन्द्र: हरीश कुमार, के. एण्ड डी. जन सेवा केन्द्र AWANEESH
 पद: हरीश कुमार, केन्द्र प्रभारी
 स्थान:

DIDOURA, मुरादाबाद, DIDOURA, मुरादाबाद, मुरादाबाद

दिनांक: 04/09/2018

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० किए प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

Digitally Signed by
 AWANEESH KUMAR
 SINGH O=REVENUE,
 OU=REVENUE,S=Bihar

KUMAR
 SINGH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

मुरादाबाद, मुरादाबाद

दिनांक: 04/09/2018